

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
29.8.15	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद</b>  <b>आपूर्ति अपील वाद संख्या-36/डी0एम0/2014</b>  <b>ब्रजेन्द्रनाथ त्रिवेदी बनाम सरकार</b>  <b>आदेश</b></p> <p>यह अपील आवेदन श्री ब्रजेन्द्रनाथ त्रिवेदी, पिता-स्व0 राजेन्द्रनाथ त्रिवेदी, ग्राम-धराउत, थाना-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-7917/2005 ब्रजेन्द्रनाथ त्रिवेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-30.08.2012 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-30.08.2012 को पारित आदेश की कंडिका-6 में निम्न आदेश पारित किया गया है :-"In the circumstances, the order of the SDO dated-10-01-2003 as contained in Annexure-I as well as the order of the collector dated-16-05-2005, as contained in Annexure-2 are quashed. The matter is remitted back to the Collector to reconsider it as original authority, issue notice to the petitioner, giving him all the relevant documents including the enquiry report, give him opportunity to file show cause and thereafter hear the matter and pass a fresh order in accordance with law".</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी को निरीक्षण प्रतिवेदन तथा relevant documents मुहैया कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक-18.12.2002 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर के द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की गयी थी। जिसमें निम्नांकित अनियमितता पायी गयी थी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपीलार्थी का जन वितरण प्रणाली का दुकान बंद पाया गया तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुपस्थित थे।</li> <li>2. सूचना पट्ट संधारित नहीं था तथा जांच के समय विक्रेता की पत्नी के द्वारा बताया गया कि वे जहानाबाद गये हैं।</li> <li>3. उपभोक्ताओं के द्वारा ब्यान दिया गया कि विक्रेता के द्वारा किरासन का कीमत निर्धारित दर से ज्यादा लिया जाता है।</li> <li>4. अन्त्योदय योजना का चावल एवं गेहूं कम मात्रा में आपूर्ति किया जाता है।</li> </ol> <p>निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से कारण पृच्छा की मांग की गई जिसके आलोक में अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में कंडिका वार जवाब दिया गया है। प्रथम एवं द्वितीय आरोप के संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक-18.12.2002 को थोक किरासन तेल विक्रेता के यहां तेल की उपलब्धता एवं उठाव के तिथि का पता लगाने हेतु मखदुमपुर आया हुआ था जिसकी सूचना सूचना पट्ट पर अंकित था। तीसरे आरोप के संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि अधिक मूल्य पर किरासन तेल की आपूर्ति संबंधी उपभोक्ताओं का आरोप निराधार है। यदि वास्तव में 12.00 रु0 प्रति लीटर की दर से किरासन तेल की आपूर्ति की जाती तो मेरे विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में भी शिकायत की जा सकती थी। चौथे आरोप के संबंध में आरोपी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सभी लाल कार्डधारीगण अन्त्योदय योजना अन्तर्गत चयनित परिवार नहीं है</p>	

